सम्पादकीय

चुनौतियों का सामना

ट्रंप अपनी टैरिफ नीति के दुष्परिणामों से बेपरवाह

अमेरिका की ओर से चीन पर 104 प्रतिशत टैरिफ लगाने के फैसले के बाद जिस तरह चीन ने भी उस पर टैरिफ दर 34 से बढ़ाकर 84 प्रतिशत कर दी, उससे यदि कुछ स्पष्ट हो रहा है तो यही कि यह लड़ाई और तेज होगी और पूरी दुनिया पर उसका बुरा असर कहीं अधिक गहरा होगा।

इसकी आशंका इसलिए और बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फार्मा सेक्टर पर भी टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनकी मनमानी जारी रहेगी, भले ही इससे शेष विश्व के साथ अमेरिका को भी नुकसान क्यों न हो।

ट्रंप अपनी टैरिफ नीति के दुष्परिणामों से किस तरह बेपरवाह हैं, इसका पता इससे चलता है कि देश-विदेश में तमाम विरोध के बाद भी वह अपने कदम पीछे खींचने के कोई संकेत नहीं दे रहे हैं। अब जब यह स्पष्ट है कि ट्रंप विश्व व्यापार व्यवस्था का बेड़ा गर्क करने पर आमादा हैं, तब भारत को टैरिफ वार के दुष्प्रभावों से बचने के लिए कमर कस लेनी चाहिए।

इस भरोसे रहना ठीक नहीं होगा कि अमेरिका से जल्द व्यापार समझौता हो जाएगा। ऐसा कोई समझौता तभी संभव है, जब अमेरिका भारतीय हितों की भी चिंता करेगा। कहना कठिन है कि ट्रंप इसके लिए तैयार होंगे। भारत को यह मानकर भी नहीं चलना चाहिए कि उसके प्रतिस्पर्धी देशों पर अधिक अमेरिकी टैरिफ के चलते भारतीय निर्यातकों को अपेक्षाकृत कम नुकसान होगा, क्योंकि इनमें से कुछ देश अमेरिकी उत्पादों पर अपनी टैरिफ दरें शून्य करने के संकेत दे रहे हैं।

भारत को इसकी भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि टैरिफ पर अमेरिका और चीन के बीच तीखी तकरार के चलते इसकी आशंका उभर आई है कि देश में चीनी सामान की डंपिंग हो सकती है। भारत को इसे रोकने के लिए तो जतन करने ही होंगे, भारतीय वस्तुओं के निर्यात के लिए नए बाजार भी देखने होंगे। सरकार को निर्यातकों के साथ मिलकर वे उपाय अमल में लाने के लिए सक्रिय हो जाना चाहिए, जिनसे निर्यात में गिरावट न आने पाए।

यह समझ आता है कि भारत सरकार ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर कोई जवाबी कदम उठाने के पक्ष में नहीं, लेकिन उसे भारतीय निर्यातकों को भरोसे में लेने का काम तो करना ही चाहिए। टैरिफ वार के रूप में अमेरिका की ओर से जो चुनौती खड़ी की गई है, उसे अवसर में तभी बदला जा सकता है, जब संभावित समस्याओं का समाधान आगे बढ़कर करने की नीति पर चला जाएगा। यह अच्छा है कि गत दिवस रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कमी कर कर्ज सस्ता करने का फैसला लिया। माना जा रहा है कि इससे घरेलू बाजार में खपत बढ़ाने में मदद मिलेगी। ऐसा वास्तव में हो, इसके लिए सरकार को भी अपने स्तर पर सक्रिय होना चाहिए।

वि शे ष

देश में आहत होती लोकतांत्रिक गरिमा न्यायपालिका को आगे आना होगा

बीते दिनों सपा के रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा के बारे में संसद में जो कुछ कहा उसे कार्यवाही से निकालने का क्या लाभ जब दुनिया उससे परिचित हो गई। ऐसे मामलों की सूची अंतहीन है। बेलगाम होती वर्तमान स्थिति पर लगाम लगाने के लिए कुछ उपाय आवश्यक हो गए हैं। एक उपाय तो संसदीय कार्यवाही के सीधे प्रसारण पर रोक लगाने का है।

■ सुरेंद्र किशोर

गत वर्ष के. चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के 10 विधायकों और आठ विधान परिषद सदस्य दलबदल कर कांग्रेस में शामिल हो गए। बीआरएस ने तेलंगाना विधानसभा स्पीकर से अनुरोध किया कि इन विधायकों की सदस्यता समाप्त की जाए। इस पर स्पीकर की हीलाहवाली के चलते मामला हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

जिस पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि इन सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव नहीं होंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि मुख्यमंत्री ने ऐसा कहकर दलबदल विरोधी कानून का मजाक उड़ाया है। अदालत ने कहा, स्पीकर इस पर क्या फैसला करते हैं, उस पर हमारा कुछ नहीं कहना। हालांकि स्पीकर को एक उचित समयसीमा के भीतर फैसला कर देना चाहिए। यदि वह अदालत के इस अनुरोध का पालन नहीं करते तब हम शक्तिहीन होकर नहीं बैठे रह सकते। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत हमें विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए शक्ति उपलब्ध है। हम संविधान के संरक्षक की हैसियत से अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे।' ऐसी अदालती फटकार के बाद यह मामला एक समयसीमा के भीतर सुलझ जाने की उम्मीद बंधी है। हालांकि ऐसा यह इकलौता मामला नहीं है।

वर्ष 2021 में बंगाल में हुए दलबदल में स्पीकर की संदिग्ध भूमिका को लेकर भी शीर्ष अदालत को ऐसा ही आदेश देना पड़ा था। यह मामला भाजपा विधायक मुकुल राय से जुड़ा था। उनके दलबदल पर स्पीकर कार्रवाई नहीं कर रहे थे। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, 'स्पीकर को ऐसे मामले में अधिकार इसलिए दिया गया है ताकि वह स्वतंत्र रूप से निर्णय कर सकें, पर उम्मीद के विपरीत यह आम प्रथा चल पड़ी है कि ऐसे मामलों को महीनों और वर्षों तक लटकाए रखा जा रहा है।' दलबदल और नैतिकता का ह्रास ही नहीं कानूनी और संसदीय आचरण के मामले में स्थिति इतनी बिगड़ती जा रही है कि आए दिन संविधान और विधायिका संस्था की गरिमा को ठेस पहुंच रही है।

अब सुप्रीम कोर्ट को ही कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। अन्यथा संविधान के संरक्षक के रूप में उसके दायित्व का अपेक्षा के अनुरूप पालन नहीं हो पाएगा। मौजूदा स्थिति से चिंतित कई लोग यह चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग बने। वह संसदीय जनतंत्र की गरिमा को बहाल करने के लिए ठोस सुझाव दे। संसदीय एवं लोकतांत्रिक गरिमा को चोट पहुंचाने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रविधान करे। यह बहुत आवश्यक हो चला है, क्योंकि पीठासीन अधिकारियों के तमाम प्रयासों के बावजूद इन दिनों विधायी संस्थाओं का प्रभावी संचालन नहीं हो पा रहा है। इस पर आम लोगों का दुखी होना स्वाभाविक है।

यह देखने में आता है कि संसद-विधानसभा में कोई भी सदस्य उठकर जो चाहे बोलने लगता है। नियम यह है कि किसी के खिलाफ सदन के भीतर आरोप लगाने से पहले सदस्य उन आरोपों के आलोक में पीठासीन पदाधिकारी से उस पर बोलने

की पूर्व अनुमति प्राप्त करे। अब शायद ही इस परंपरा का पालन होता है। सदन की कार्यवाही के सीधे प्रसारण के कारण आरोप की जानकारी सार्वजनिक हो जाती है। बाद में आरोप को कार्यवाही से निकाल दिया जाता है।

इससे कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि आरोप लगाने वाला अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है। संसदीय विशेषाधिकारों के चलते आरोप लगाने वाला कानूनी शिकंजे से भी बच निकलता है। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्रित्व काल में आम तौर पर दिल्ली विधानसभा का सत्रावसान नहीं कराया जाता था। जब चाहे सदन की बैठक बुलाकर केजरीवाल अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ अपुष्ट आरोपों की झड़ी लगा देते थे। यदि वही बात वह सदन से बाहर बोलते तो उन पर मानहानि का केस हो सकता था। कई और विसंगतियां भी लोकतांत्रिक संस्थानों की छवि पर आघात कर रही हैं। नेताओं की चमड़ी इतनी मोटी होती जा रही है कि वे गंभीर मामलों में लिप्त होने के बावजूद अपने पदों से इस्तीफा देना तो दूर न्यूनतम शालीनता का परिचय भी नहीं दे रहे। इस मामले में एक पुराना मामला मिसाल है। यह तब की बात है, जब नेहरू प्रधानमंत्री थे। एक दिन लोकसभा में बिहार के एक कांग्रेसी सांसद ने आचार्य जेबी कृपलानी को सीआइए का एजेंट कह दिया। इससे आचार्य जी को गहरा सदमा लगा। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। प्रधानमंत्री उन्हें देखने अस्पताल गए।

टिप्पणी करने वाले नेता को जब बुलाया गया तो उसकी उम्मीदें इस आशा के साथ परवान चढ़ गईं कि संभव है कि पंडित जी इससे खुश हुए तो मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। वह सज-धज कर तीन मूर्ति भवन पहुंचे। नेहरू जी ने आचार्य जी से अशिष्ट व्यवहार करने के लिए उन्हें इतना डांटा कि उनकी हालत खराब हो गई। उस घटना के बाद वह सांसद नेहरू जी के सामने आने से कतराते रहे।

कल्पना कीजिए कि आज की तरह यदि तब भी संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण हो रहा होता तो आचार्य जी की क्या स्थिति हुई होती? तब ऐसी घटनाएं भी इक्का-दुक्का थीं। राजनीति में लोकलाज की भावना बनी हुई थी। आचार्य कृपलानी पर टिप्पणी कार्यवाही से निकाल दी गई। इसलिए वह अखबारों में भी नहीं छपी। इसके उलट आज क्या स्थिति है?

बीते दिनों सपा के रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा के बारे में संसद में जो कुछ कहा, उसे कार्यवाही से निकालने का क्या लाभ जब दुनिया उससे परिचित हो गई। ऐसे मामलों की सूची अंतहीन है। बेलगाम होती वर्तमान स्थिति पर लगाम लगाने के लिए कुछ उपाय आवश्यक हो गए हैं। एक उपाय तो संसदीय कार्यवाही के सीधे प्रसारण पर रोक लगाने का है।

या फिर उसे रिकार्ड कर संपादन के उपरांत प्रसारित किया जा सकता है। एक उपाय यह भी हो सकता है कि सदन में कही गई बातों पर विशेषाधिकार समाप्त किए जाएं। ऐसी बातों पर कानूनी कार्रवाई का विकल्प होना चाहिए। यदि विधायिका और कार्यपालिका लोकतंत्र की गरिमा को बचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाते तो फिर न्यायपालिका को ही आगे आना होगा।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

देश/प्रदेश

गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में मिल रहा 1 लाख तक का ऋण

आय में वृद्धि से खुशहाल हो रहा राजस्थान के पशुपालकों का जीवन

राजस्थान के किसानों और ग्रामीणों के लिए पशुपालन आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है। पशुपालन राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार पशुपालकों के कल्याण और समृद्धि के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ-साथ पशुपालकों को राहत देने के लिए कई ऐसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे पशुपालक सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं।

राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना इसी दिशा में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के माध्यम से पशुपालक अपनी आय में वृद्धि कर अपना और अपने परिवार का जीवन खुशहाल बना पा रहे हैं। योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत गोपालक किसान परिवारों को एक लाख रुपए तक अल्पकालीन ब्याजमुक्त ऋण एक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। राज्य बजट 2024-25 में प्रदेश के पांच लाख गोपालक परिवारों को इस योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान किया गया। अब राज्य बजट 2025-26 में इसमें 2 लाख 50 हजार अतिरिक्त गोपालक परिवारों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत 150 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाना भी प्रस्तावित है।

योजना के अंतर्गत गोपालक परिवारों को गाय/भैंस के लिए शैड, खेली निर्माण और चारा/बांटा सहित उपकरण खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि जिस कार्य के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है, वह उसी कार्य में उपयोग हो। योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए वर्ष 2024-25 में एक लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए और 37 हजार 400 से अधिक परिवारों को लगभग 248 करोड़ की राशि का ऋण स्वीकृत किया गया। योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश के गोपालक किसान का प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का सदस्य होना अनिवार्य है। ऋण का समय पर चुकारा करने पर गोपालक किसानों को किसी प्रकार के ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़ता। योजना का लाभ उठाने के लिए गोपालक किसान ई-मित्र केन्द्र एवं संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से लाभान्वित होकर गोपालक परिवार अधिक मात्रा में शुद्ध दूध का उत्पादन कर पा रहे हैं और अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। साथ ही, यह योजना प्रदेश में गोवंश के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है।

स्कॉर्पियो को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, दो महिलाओं की मौत

मॉर्निंग न्यूज @ जयपुर। टोंक जिले के दत्तवास थाना इलाके में बुधवार-गुरुवार की मध्यरात्रि को शादी समारोह से दौसा लौट रहे परिवार की स्कॉर्पियो को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई और वहीं छह लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय अस्पताल में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने सभी गंभीर को जयपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने बताया कि स्कॉर्पियो सवार परिवार के आठ लोग शादी समारोह में शामिल होने टोंक गए थे, जहां से वे लालसोट जिला दौसा के तलाब गांव लौट रहे थे। इस दौरान टोंक की सीमा के क्षेत्र के तुर्किया गांव में स्कॉर्पियो को अज्ञात वाहन टक्कर मारकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को एंबुलेंस से चाकसू उप जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने मुमताज बानो और अफरोज को मृत घोषित कर दिया। इसके अलावा अनवर हुसैन, मुस्कान, रिजवान बानो, शाहरुख खान, मदीना बानो और मोहीन को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया।

सूर्या रेजीडेंसी में हर्षोल्लास के साथ मनाई महावीर जयंती

मॉर्निंग न्यूज @ जयपुर। कांग्रेस नेता एवं समाजसेवी रोमा जैन ने बताया कि गुरुवार को महावीर जयंती के पावन पर्व पर गांधी पथ वेस्ट वैशाली नगर स्थित बिल्डर रविन्द्र प्रताप द्वारा मनाई गई। जन आवास योजना सूर्या रेजिडेंसी में हर्षोल्लास के साथ महावीर जयंती मनाई गई, जिसमें सूर्या रेजीडेंसी में सेवाएं देने वाले कर्मचारियों को मिठाई वितरित की गई एवं महावीर जयंती की बधाई प्रेषित की गई। इस कार्यक्रम में बिट्टू चौहान, नवलगढ़ के प्रधान शिवनारायण सूरा, विजय यादव, सुनील माथुर, रोमी, जगदीश प्रसाद मौजूद रहे। सूर्या रेजीडेंसी के प्रबंधक राहुल धारा एवं राकेश खत्री, निपेंद्र चौहान कुलदीप कटारा का भी विशेष सहयोग रहा।

नगरीय निकायों के परिसीमन एवं वार्ड पुनर्गठन प्रस्तावों पर अवकाश में भी दे सकेंगे आपत्तियां

मॉर्निंग न्यूज @ जयपुर। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा 07 अप्रैल 2025 को जारी सूचना के क्रम में नगरीय निकायों के परिसीमन एवं वार्ड पुनर्गठन प्रस्तावों पर जनसाधारण 17 अप्रैल, 2025 तक आपत्तियां अथवा सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। गुरुवार, 10 अप्रैल, 2025 को राजकीय अवकाश के दिन भी आपत्तियां एवं सुझाव स्वीकार किए गए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर आशीष कुमार ने बताया कि नगरीय निकायों के परिसीमन एवं वार्ड पुनर्गठन प्रस्तावों पर आपत्ति राजकीय अवकाशों में भी प्रस्तुत की जा सकती है। इसके लिए उक्त राजकीय अवकाश दिवसों पर भी जिला कलेक्ट्रेट, जयपुर स्थित जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय तथा नगर निगम हेरिटेज एवं ग्रेटर के मुख्यालय एवं इनके अधीन आने वाले समस्त जोन कार्यालय खुले रहेंगे।

प्रतिबंधित नशीली दवाइयों सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

मॉर्निंग न्यूज @ जयपुर

जयपुर ग्रामीण जिले के जमवारामगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित नशीली दवाईयों ट्रामाडोल कैप्सूल व एल्प्राजोलम टेबलेट की सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और चार आरोपियों को पकड़ा है।

उप-महानिरीक्षक पुलिस सह-पुलिस अधीक्षक जिला जयपुर ग्रामीण आनंद शर्मा ने बताया कि जिले में ऑपरेशन नॉकआउट अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते डीएसटी टीम जयपुर ग्रामीण व पुलिस थाना जमवारामगढ़ की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन नॉकआउट अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए गुरुवार को तिवाड़ी मोहल्ला आंधी में एक नाबालिग बालक के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध नशीले पदार्थ प्रतिबंधित दवाईयां 8840 ट्रमाडोल कैप्सूल, 750 एल्प्राजोलम टेबलेट जब्त कर नाबालिग बालक को निरूद्ध किया। नाबालिग बालक से पूछताछ में सामने आया कि ये नशीले कैप्सूल व टेबलेट उसके पिता रामराय शर्मा से लेकर आया था। जिस पर कार्रवाई करते हुए नशीले कैप्सूल व टेबलेट की सप्लाई करने वाले नशा कारोबारी रामराय शर्मा निवासी तिवाड़ी मौहल्ला आंधी को डिटेन कर पूछताछ की तो यह तथ्य सामने आया कि रामराय शर्मा ये नशीले कैप्सूल मेडिकल स्टोर एसएमएस अस्पताल जयपुर के संचालक जितेन्द्र शर्मा व उस पर काम करने वाले व्यक्ति विनोद ब्राह्मण से लेता था तथा न्यू शर्मा मेडिकल स्टोर एसएमएस अस्पताल जयपुर संचालक जितेन्द्र शर्मा ये नशीले कैप्सूल व टेबलेट ठेकाकर्मी दवा वितरण केन्द्र एसएमएस अस्पताल जयपुर में कार्यरत कर्मचारी जितेन्द्र कुमार से लेता था। इस पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए कुमार पुत्र रामकिशोर (ठेकाकर्मी दवा वितरण केन्द्र एसएमएस अस्पताल जयपुर) व जितेन्द्र शर्मा पुत्र प्यारेलाल (संचालक मेडिकल स्टोर एसएमएस अस्पताल के पास जयपुर) व रामराय शर्मा पुत्र स्व. कैलाशचन्द तथा विनोद पुत्र रामकरण को गिरफ्तार किया है।

इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का अर्धवार्षिक सम्मेलन कल से

मॉर्निंग न्यूज @ जयपुर

मध्य भारत के इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का अर्धवार्षिक सम्मेलन जयपुर में 12 व 13 अप्रेल को आयोजित किया जा रहा है। आयोजन समिति अध्यक्ष डॉ. जयंत सेन ने बताया कि इस सम्मेलन में 100 से ज्यादा वरिष्ठ हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ अपने विचार साझा करेंगे। डॉ. सेन ने बताया कि इसने ऑर्थोपेडिक की नवीनतम उपचार प्रणाली के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी।

आयोजन सचिव डॉ. राहुल कट्टा ने बताया कि यह सम्मेलन राजस्थान इंटरनैशनल सेंटर में आयोजित हो रहा है।